संख्याः-372 /एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-II

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रीष्मऋतु कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत अग्निकाण्ड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु **धनराशि रू0 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र)** जिलाधिकारी सुलतानपुर के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम | जनपद का नाम/ पत्र संख्या व दिनांक | आपदा का प्रकार/मद | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | वर्तमान में स्वीकृत धनराशि | अब तक कुल स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में) (4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सुलतानपुर, पत्रांक-1050, दिनांकः-31.07.2019 | अग्निकाण्ड-07 | 35.00 | 25.00 | 60.00 |
| | | **योग** | **35.00** | **25.00** | **60.00** |
| | | | | **(रूपये पच्चीस लाख मात्र)** | |

(1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10 (28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

संख्या-572 (1)/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-II, दिनांक: 21 अगस्त ,2019

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।

2- मण्डलायुक्त, अयोध्या, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, बापू भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सुलतानपुर, उ0प्र0।

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner